Signature and Name of Invigilator

1. (Signature) ______________________

   (Name) ______________________

2. (Signature) ______________________

   (Name) ______________________

Roll No. | | | | | | | | |

(In figures as per admission card)

Roll No. ______________________

(In words)

Test Booklet No.

J – 5808

PAPER – III

LAW

Time : 2½ hours] **[Maximum Marks : 200**

Number of Pages in this Booklet : **40** Number of Questions in this Booklet : **26**

Instructions for the Candidates

1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.
2. Answers to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.

   No Additional Sheets are to be used.
3. At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below :
   (i) To have access to the Test Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.
   (ii) **Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the question booklet will be replaced nor any extra time will be given.**
4. Read instructions given inside carefully.
5. One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
6. If you write your name or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, you will render yourself liable to disqualification.
7. You have to return the Test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
8. **Use only Blue/Black Ball point pen.**
9. **Use of any calculator or log table etc. is prohibited.**
10. **There is NO negative marking.**

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए।
2. लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुये रिक्त स्थान पर ही लिखिये।

   इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है।
3. परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी। पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :
   (i) प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी सील को फाड़ लें। खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें।
   (ii) **कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं। दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ / प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले ले। इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे। उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा।**
4. अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
5. उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है।
6. यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर अपना नाम या ऐसा कोई भी निशान जिससे आपकी पहचान हो सके, किसी भी भाग पर दर्शाते या अंकित करते हैं तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे।
7. आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें।
8. **केवल नीले / काले बाल प्वाईंट पैन का ही इस्तेमाल करें।**
9. **किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है।**
10. **गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जायेंगे।**

LAW

विधि

PAPER – III

प्रश्न-पत्र – III

NOTE: **This paper is of two hundred (200) marks containing four (4) sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.**

नोट : यह प्रश्नपत्र दो सौ (200) अंकों का है एवं इसमें चार (4) खंड है। अभ्यर्थियों को इन में समाहित प्रश्नों का उत्तर अलग दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार देना है।

SECTION - I

खण्ड – I

Note : This section contains five (5) questions based on the following paragraph. Each question should be answered in about thirty (30) words and each carries five (5) marks.

(5x5=25 Marks)

नोट : इस खंड में निम्नलिखित पैराग्राफ पर आधारित पाँच (5) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न पाँच (5) अंकों का है।

(5x5=25 अंक)

Note : The candidates are advised to read the following paragraph carefully and answer the five questions asked on the given paragraph in 30 words. Each question carries 5 marks.

Our struggle for independence was not just a movement to achieve freedom from British rule. It was as much a crusade to free ourselves from the various social evils and socio-economic iniquities and discriminations to lift the deprived and the down-trodden from the mire of poverty and to give them a stake in the overall transformation of the country. It was with this larger national objective that a democratic polity based on parliamentary system was established. Intolerance, divisiveness, corruption, confrontations and disrespect to dissent are increasingly initiating our socio-political system. Added to this is the attempt by some institutions to malign and marginalise important people's forums, with an intent to occupy larger space than what is ideally feasible or constitutionally permissible in a representative democratic system. Judicial activism is sought to be justified because of perceived decline in the effectiveness of parliamentary accountability. Frequent interventions in the exclusive jurisdiction of the legislature will only contribute to further eroding the authority of Parliament.

The media rather than becoming the prophets of doom and contributing to the loss of the people's faith in the institutions, should endeavour to reinforce their trust in them. They would do well to remember that only in a democracy does free media flourish. Market driven competitive Journalism will hurt the long term interest of our political system. Once democratic institutions loose popular trust, it could very well herald the beginning of anarchy. The question that we all, particularly, today's youth, need to ask ourselves is, should we always be the beneficiaries of the system or should we not come forward to contribute to transform the quality of our polity and to make a positive impact on the socio-economic fortunes of the people. Attracting the right talent - honest, well-meaning, public spirited and educated youth-into the arena of politics and public life is an important challenge before our democracy.

नोट : प्रत्याशियों को परामर्श दिया जाता है कि वे निम्नलिखित पैराग्राफ को ध्यान से पढ़े और उस पर आधारित पाँच (5) प्रश्नों के उत्तर तीस (30) शब्दों में दे। प्रत्येक प्रश्न पाँच (5) अंक का है।

स्वतंत्रता के लिए हमारा संघर्ष ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्ति का मात्र एक आन्दोलन नहीं था। यह विभिन्न सामाजिक बुराइयों और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं एवं विभेदों से स्वयं को मुक्त कराने का, दलितों एवं वंचितों को गरिबी के दलदल से निकालने और उनको देश के सम्पूर्ण बदलाव में एक भूमिका प्रदान करने का एक धर्मयुद्ध भी था। इन बृहत्तर राष्ट्रीय उद्देश्य के साथ ही संसदीय प्रणाली पर आधारित लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की गई थी। असहिष्णुता, विभाजक-प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, तीव्र विरोध और असहमति के प्रति असम्मान हमारे सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था को लगातार विकृत करते हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रतिनिधित्ववादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आदर्श रूप में सम्भव एवं सांविधानिक रूप से अनुमन्य से बृहत्तर भूमिका प्राप्त करने के आशय से, कुछ संस्थाओं द्वारा, महत्वपूर्ण लोक संस्थाओं को बदनाम करने एवं उन्हे हाशिए पर डालने का प्रयास भी होता है। संसदीय उत्तर-दायित्व की प्रभावशीलता में अनुभव की गई गिरावट के कारण न्यायिक सक्रियता को न्यायोचित ठहराया जाता है। विधायिका के एकान्तिक (अनन्य) क्षेत्राधिकार में बहुधा हस्तक्षेप संसद की प्रभावशीलता में ह्रास को ही और बढ़ावा देगी।

मीडिया को सर्वनाश का भविष्यवक्ता बनने और संस्थाओं में लोक विश्वास की कमी में योगदान देने के स्थान पर, इनमें उनके विश्वास को और बढाने का प्रयास करना चाहिए। उन्हे इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि केवल एक लोकतंत्र में ही स्वतंत्र मीडिया फलता-फूलता है। बाजार प्रेरित प्रतियोगी पत्रकारिता हमारी राजनीतिक व्यवस्था के दीर्घकालीन हितों को चोट पहुंचाएगी। लोक तांत्रिक संस्थाओं का एक बार जन विश्वास को खोना, अराजकता के प्रारम्भ में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा। प्रश्न, जो हम सबको, विशेषकर आज के युवा को, स्वयं से पूछने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या इस व्यवस्था से वे सदैव लाभ प्राप्तकर्ता ही रहें अथवा क्या हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करने में एवं जनता के सामाजिक, आर्थिक भविष्य में धनात्मक योगदान करने के लिए आगे न आएँ। राजनीति एवं लोकजीवन के कार्यक्षेत्र में प्रतिभाशाली, इमानदार, शुभ-भावना से युक्त, लोक-भावना से प्रेरित एवं शिक्षित युवा को आकर्षित करना हमारे लोकतंत्र के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

1. What are essential features and aims of Parliamentary form of Government ?

सरकार के संसदीय स्वरूप के आवश्यक तत्व एवं उद्देश्य क्या हैं?

2. What are the various factors responsible for vitiating socio-political system in India ?
भारत की सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था को दूषित करने के लिए कौन से विभिन्न कारक उत्तरदायी है?

3. What is Judicial activism ? How you could differentiate it with Judicial despotism ?
न्यायिक सक्रियता क्या है? आप इसे न्यायिक निरंकुशता से किस प्रकार विभेदित कर सकते है?

4. How the media should endeavour to reinforce trust of the people in democratic institutions ?

मीडिया को किस प्रकार से, प्रजातंत्रीय संस्थाओं में जन विश्वास की पुनर्स्थापना हेतु, प्रयास करना चाहिए?

5. Give your suggestions to attract honest and public-spirited educated youth in the area of politics and public life ?

लोक-भावना से प्रेरित एवं शिक्षित युवा को राजनीति एवं लोक जीवन के कार्यक्षेत्र में आकर्षित करने के लिए अपने सुझाव दीजिए।

SECTION - II

खण्ड – II

Note : This section contains fifteen (15) questions each to be answered in about thirty (30) words. Each question carries five (5) marks.

(5x15=75 Marks)

नोट : इस खंड में पाँच-पाँच (5-5) अंकों के पंद्रह (15) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है।

(5x15=75 अंक)

6. "The Supreme Court has been assigned the role of sentinel on qui-vive for the protection of the fundamental rights". Discuss.

''मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम् न्यायालय की भूमिका एक सतत: सतर्क रखने वाली प्रहरी की है।'' विवेचना कीजिए।

7. The Preamble to the Constitution sets out the aims and aspiration of the people of India. To what extent they have been translated into various provisions of the Constitution ?

संविधान की उद्देशिका भारत के लोगों की आकांक्षाओं और उद्देश्यों को परिलक्षित करती है। किस सीमा तक इन्हें संविधान के विभिन्न प्रावधान में समाविष्ट किया गया है?

8. Explain the importance of Administrative Law.

प्रशासनिक विधि के महत्व को समझाइये।

9. Explain "Interest Theory" of Right.
अधिकार के ''हित का सिद्धान्त'' को समझाइये।

10. What is abetment by instigation ?
उत्प्रेरण से दुष्प्रेरण क्या है?

11. Explain the meaning of right to environment information.

पर्यावरणीय सूचना के अर्थ को स्पष्ट कीजिये।

12. Explain the concept of Sovereignty

संप्रभुता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये।

13. Explain "Double Nationality" and "Statelessness".

दोहरी राष्ट्रीयता एवं राज्यविहिनता को समझाइये।

14. Define Khula. Is it subject to Judicial Senitiny.

'खोला' की परिभाषा कीजिए, क्या यह न्यायिक संविक्षा के अधीन है।

15. Explain Doctrine of Relation Bauck and explain its essential ingredient.

पूर्व वर्तीय सिद्धान्त (डोकटीरिन ऑफ रिलेशन बेक) की व्याख्या कीजिए और उसके अनिवार्य घटकों को स्पष्ट कीजिए।

16. Distinguish between "sale" and "agreement to sale".

''विक्रय'' एवं ''विक्रय के करार'' में अन्तर स्पष्ट कीजियें।

17. What do you mean by "Holder in due course" ?

''सम्यक् अनुक्रम में धारक' से आप क्या समझते है?

18. Discuss the concept of generations of Human Rights.

मानव अधिकारों की पीढ़ियों की संकल्पना की विवेचना कीजिये।

19. Discuss the principle of non-refoulement.
अस्थिर सिद्ध न करने के सिद्धान्त की विवेचना कीजिये।

20. Explain the meaning of "Respondent Superior".
''प्रत्यर्थी उच्चतर'' के अर्थ को समझाइये।

SECTION - III

खण्ड – III

Note : This section contains five (5) questions from each of the electives / specialisations. The candidate has to choose only one elective / specialisation and answer all the five questions from it. Each question carries twelve (12) marks and is to be answered in about two hundred (200) words.

(12x5=60 Marks)

नोट : इस खंड में प्रत्येक ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता से पाँच (5) प्रश्न हैं। अभ्यर्थी को केवल एक ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता को चुनकर उसी में से पाँचो प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न बारह (12) अंकों का है व उसका उत्तर लगभग दो सौ (200) शब्दों में अपेक्षित है।

(12x5=60 अंक)

Elective - I
विकल्प – I

21. "In fact, equality and arbitrariness are sworn enemies; one belong to the rule of law, while other to the whim and caprice of an absolute monarch". Elucidate with the help of constitutional provisions and judicial decisions.
''वास्तव में समता और मनमानापन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है; इनमें से एक विधि सम्मत शासन से संम्बधित है जबकि दूसरा निरकुंश राजा की सनक और मौज़ से।'' सांविधानिक उपबन्धों और न्यायिक विनिश्चयों की सहायता से विशदीकरण कीजिए।

22. "Right not to be discriminated on the ground of sex and the need for empowerment of women, requires the state to ensure that women have adequate representation in Parliament". Argue for and against.
''महिलाओं का लिंग के आधार पर विभेदन न किये जाने के अधिकार और उनको शक्ति संपन्न बनाने की आवश्यकता के लिए, यह जरूरी हो जाता है कि महिलाओं का संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।'' पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए।

23. "The amending power of the Parliament should not be subjected to the vague and uncertain doctrine of basic-structure". Comment.
''संसद के संशोधन करने के अधिकार को संविधान के मूलभूत स्वरूप जैसी किसी अनिश्चित एवं अस्पष्ट अवधारणा के अधीन नहीं किया जा सकता।'' टिप्पणी कीजिए।

24. In recent times certain Directive Principles have been judicially enforced and made enforceable by imaginative and creative interpretation of Fundamental Rights. Do you agree ? Give reasons.
अद्यतन समय में कुछ निदेशक सिद्धान्त न्यायसम्मत लागू किये गये तथा मूल अधिकारों की कल्पनात्मक एवं रचनात्मक व्याख्या द्वारा प्रवर्तनीय बनाए गए। क्या आप सहमत है? कारण दीजिए।

25. "True, our constitution has no "due process" clause but after Maneka Gandhi's case, the consequence is the same". Discuss.
''यह सही है कि हमारे संविधान में कोई ''सम्यक प्रक्रिया'' खंड नहीं है किन्तु मेनका गांधी के वाद के बाद एक तरह से परिणाम वही है।'' विवेचना कीजिए।

OR / अथवा

Elective - II

विकल्प – II

21. Examine whether Administrative Law is a part of Constitutional Law ?
क्या प्रशासनिक विधि सांवैधानिक विधि का भाग है? समझाइये।

22. Define and distinguish Writ of Mandamus and Writ of Quo Warranto with suitable illustrations.
उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से परमादेश एवं अधिकार पृच्छा रिट की परिभाषा दीजिये एवं विभेद कीजिये।

23. "No one shall be a Judge in his "Own cause" - Explain the statement with illustrations.
''कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होगा'' – उदाहरणों की सहायता से कथन को समझाइये।

24. Evaluate the safeguards against the abuse of Administrative discretion.
प्रशासनिक विवेक के दुरुपयोग के विरूद रक्षोपायों का मूल्यांकन कीजिए।

25. Write about the composition and functions of Lokayukta in India.
भारत में लोकायुक्त के गठन एवं कार्यों के बारे में लिखिये।

OR / अथवा

Elective - III

विकल्प – III

21. Analyse the Hohfeld's scheme of Jural relations of Rights.
न्यायगत अधिकारों के सम्बंध की हॉहफेल्ड योजना का विश्लेषण कीजिए।

22. Discuss Hart-Fuller debate on Law and Morality.
विधि एवं नैतिकता पर हार्ट-फुलर वाद-विवाद का विवेचन कीजिये।

23. Compare the Legal Positivism of Bhentham and Austin.
बेन्थम एवं ऑस्टीन की विधिक निश्चयात्मकवाद की तुलना कीजिये।

24. Discuss the role of 'Social Contract Theory' to the development of Jurisprudence.

विधि शास्त्र के विकास में ''सामाजिक संविदा के सिद्धान्त'' की भूमिका की विवेचना कीजिए।

25. Discuss the role of Indian Judiciary in empowering women. Refer to decided cases.

महिलाओं के सशक्तिकरण में न्यायपालिका की भूमिका की विवेचना कीजिये। निर्णित वादों का हवाला दीजिये।

OR / अथवा

Elective - IV

विकल्प – IV

21. Distinguish between culpable homicide and murder.

''आपराधिक मानव वध'' तथा हत्या में विभेद कीजिए।

22. Discuss different stages of commission of crime. Whether 'preparation' is punishable under I.P.C. ?

अपराध करने की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। क्या ''तैयारी'' भारतीय दण्ड संहिता में दण्डनीय है।

23. What are the essential ingredients of 'theft' and how it is different from 'extortion' ?

''चोरी'' के आवश्यक तत्त्व क्या है और यह ''अपकर्षण'' से किस तरह भिन्न है।

24. Highlight different exceptions to the offence of Defamation.

मानहानी के अपराध के भिन्न अपवादों पर प्रकाश ड़ालिये।

25. What is difference between the approach of S.149 and S.34 I.P.C. ?

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 तथा धारा 34 के पहुँचमार्ग की भिन्नता क्या है?

OR / अथवा

Elective - V

विकल्प – V

21. Discuss the provisions of law governing citizen suits in environmental cases and highlight the importance of such suits in the implementation and enforcement of the environmental legislations in India.

पर्यावरणीय वादों में नागरिक वादों से सम्बन्धीत विधि के प्रावधानों की विवेचना कीजिए तथा भारत में पर्यावरणीय विधायनों के क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन में ऐसे वादों के महत्त्व पर प्रकाश डालिये।

22. Explain the 'pollutes pays' and 'precautionary' principles. What is the legal status of these principles in India ?

'प्रदूषक-भूगतान करे' तथा 'पूर्वावधानी' सिद्धांतो को स्पष्ट कीजिए। इन सिद्धांतो की भारत में विधीक प्रास्थिती क्या है?

23. With the help of decided cases explain the nature and scope of the right to environment in India and examine its relationships with other fundamental rights.

निर्णीत वादों की सहायता से पर्यावरण के अधिकार की प्रकृति एवं विस्तार-क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए तथा अन्य मौलिक अधिकारों के साथ इसके अन्तर्सम्बन्धों का परीक्षण कीजिए।

24. Discuss the powers and functions of the Pollution Control Boards.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए।

25. 'The concept of Environment Impact Assessment is in the process of evolution and development in India'. Elaborate this statement.

'भारत में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की संकल्पना उद्‌विकास एवं विकास की प्रक्रिया में है'। इस कथन का विशदीकरण कीजिए।

OR / अथवा

Elective - VI

विकल्प – VI

21. 'International law is gradually becoming the global law of human kind'. Comment.

'अन्तर्राष्ट्रीय विधि क्रमश: मानवजाति की वैश्विक विधि बनती जा रही है।' टीका कीजिए।

22. Discuss the rights and duties of refugees under International Law.

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत शरणार्थियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की विवेचना कीजिए।

23. 'Recent unilateral military actions have given a mortal blow to Article 2 (4) of the United Nations Charter'. Comment.

'अद्यतन एकपक्षीय सैन्य कार्यवाहियों ने संयुक्तराष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 (4) को प्राणांतक आघात कारित किया है।' टीका कीजिए।

24. Critically examine the status of treaties and international customs under the Indian Municipal Law.

भारतीय राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत संधियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के विधिक प्रास्थिति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

25. Discuss the organization and structure of World Trade Organization.

विश्व व्यापार संगठन के संगठन एवं संरचना की विवेचना कीजिए।

OR / अथवा

Elective - VII

विकल्प – VII

21. 'Marriage under Hindu Law is not a sacrament, and not a contract, but a sacrocent". Explain.

हिन्दू विधि में विवाह न तो संस्कार है, और ना संविदा है। लेकिन पवित्रता है। विवेचना कीजिए।

22. Discuss the Law relating to adoption by a Coparcener's widow under Hindu Law.

हिन्दू विधि में सहदायिक विधवा द्वारा दत्तक ग्रहण की विधि की विवेचना कीजिए।

23. Briefly discuss the concept of Restitution of Conjugal Rights under Hindu Law, Refer to recent cases.

दाम्पत्य अधिकारों के पुन:स्थापन की संकल्पना की विवेचना कीजिए। अद्यतन वादों का उल्लेख कीजिए।

24. Explain the disabilities for a valid Marriage under Muslim Law.

मुस्लिम विधि में सही विवाह की अयोग्यताओं की विवेचना कीजिए।

25. Discuss maintenance of Muslim divorced wife under Muslim women (Protection of Rights on Divorce) Act 1986, Refer to recent cases.

मुस्लिम स्त्री (तलाक पर अधिकारों के संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी के भरण-पोषण की विवेचना कीजिए। अद्यतन वादों का उल्लेख कीजिए।

OR / अथवा

Elective - VIII
विकल्प – VIII

21. Human rights are universal, interdependent and interconnected. All human rights should be treated on the footing of equality'. Elaborate this statement.

'मानवाधिकार सार्वभौमिक अन्योन्याश्रित एवं अन्तर्सम्बन्धित है। सभी मानवाधिकारों के साथ समानता के आधार पर व्यवहार करना चाहिये।' इस कथन का विशदीकरण कीजिए।

22. 'Best interest of the child and the first call for child are the cardinal principles of the International regime for the protection of the Rights of the Child'. Elaborate this statement.

'शिशु का सर्वश्रेष्ठ हित तथा शिशु की प्रथम पुकार शिशु अधिकारों के संरक्षण की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के आधारभूत सिद्धान्त हैं।' इस कथन का विशदीकरण कीजिए।

23. Critically examine the role of the U.N. and its specialized agencies in the protection of human rights.

मानवाधिकार संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र तथा इसके विशेषीकृत संगठनों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

24. Discuss the functions of the National Human Rights Commission.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों की विवेचना कीजिए।

25. Discuss the measures and mechanisms for the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights.

दीवानी एवं राजनीतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के उपायों एवं मशीनरी की विवेचना कीजिए।

OR / अथवा

Elective - IX
विकल्प – IX

21. Define Tort. Examine the constituents of tort.

अपकृत्य की परिभाषा दीजिये। अपकृत्य के आवश्यक तत्वों की समीक्षा कीजिये।

22. "Nuisance is no branch of the law of negligence, and it is no defence that all reasonable care to prevent it is taken" - Comment.

उपताप असावधानी की विधि का उल्लंघन नहीं है और यह भी बचाव नहीं है कि उससे बचने के लिये युक्तिसंगत सावधानी रखी गई। टिप्पणी कीजिये।

23. State the exceptions to the rule in RYLANDS v FLETCHER.

रायलैण्ड बनाम फ्लेचर के नियमों के अपवाद लिखिये।

24. "The existence of a duty to take care is essential before a person can be held liable in negligence" - Elucidate.

किसी भी व्यक्ति को असावधानी के लिये दायित्वाधीन करने से पहले उसका सावधानी रखने का कर्तव्य होना चाहिये। विवेचना कीजिये।

25. Critically evaluate the mechanisms for the redressal of consumer grievances.

उपभोक्ता की शिकायतों को दूर करने की यांत्रिकी का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

OR / अथवा

Elective - X

विकल्प – X

21. What are the rights of unpaid seller ? Discuss.

अदत्त विक्रेता के क्या अधिकार हैं? विवेचना कीजिये।

22. Discuss the doctrine of "ultra-vires" with the help of cases.

''अधिकारातीत'' सिद्धान्त को वादों की सहायता से समझाइये।

23. Define Cheque. What are the consequences of dishonour of cheque ?

चेक की परिभाषा दीजिये। चेक के अनादर के क्या परिणाम होंगे।

24. What are the rights and duties of partners ? Explain in detail.

भागीदारों के अधिकार एवं कर्तव्य क्या हैं? विस्तार से समझाइये।

25. What are the rights and duties of Director in a company ? Discuss.

एक कम्पनी में निदेशक के क्या अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं? विवेचना कीजिये।

SECTION - IV

खण्ड – IV

Note : This section consists of one essay type question of forty (40) marks to be answered in about one thousand (1000) words on any of the following topics.

(40x1=40 Marks)

नोट : इस खंड में एक चालीस (40) अंकों का निबन्धात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर निम्नलिखित विषयों में से केवल एक पर, लगभग एक हजार (1000) शब्दों में अपेक्षित है।

(40x1=40 अंक)

26. Compulsory Registration of Marriage and Women's Empowerment.

विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण एवं स्त्री सशक्तीकरण।

OR / अथवा

Futility or utility of Capital Punishment.

मृत्युदंड की निरर्थकता या उपयोगिता।

OR / अथवा

Judicial Accountability and Judicial Independence.

न्यायिक जबावदेही तथा न्यायिक स्वतंत्रता।

OR / अथवा

The Need for Institutionalisation of Public Interest Litigation.

लोकहितकारी वाद के संस्थानीकरण की आवश्यकता।

OR / अथवा

Role of the United Nations in the Unipolar World Order.

एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संयुक्तराष्ट्र संघ की भूमिका।

FOR OFFICE USE ONLY							
Marks Obtained							
Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained
1		26		51		76	
2		27		52		77	
3		28		53		78	
4		29		54		79	
5		30		55		80	
6		31		56		81	
7		32		57		82	
8		33		58		83	
9		34		59		84	
10		35		60		85	
11		36		61		86	
12		37		62		87	
13		38		63		88	
14		39		64		89	
15		40		65		90	
16		41		66		91	
17		42		67		92	
18		43		68		93	
19		44		69		94	
20		45		70		95	
21		46		71		96	
22		47		72		97	
23		48		73		98	
24		49		74		99	
25		50		75		100	

Total Marks Obtained (in words) .....

(in figures) .....

Signature & Name of the Coordinator .....

(Evaluation) Date .....